15444/2015

Stock Holding Corporation Of India
Mathura

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP01098685035937N
Certificate Issued Date	:	23-May-2015 12:23 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0101321823595156N
Purchased by	:	SMT URMILA PACHAIYA COLLEGE
Description of Document	:	Article 33 Gift
Property Description	:	MOUZA MAGORRA TEHSIL AND DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	AMIT SINGH
Second Party	:	SMT URMILA PACHAIYA COLLEGE
Stamp Duty Paid By	:	SMT URMILA PACHAIYA COLLEGE
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,14,500 (One Lakh Fourteen Thousand Five Hundred only)

T-R6994

....Please write or type below this line...

I.D ...
16550

अमित सिंह

XM 0002907085

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com'. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR P

BB 458596

20 MAY 2015

प्रथम

।। सत्यमेव जयते ।।

दानपत्र हस्तपत्र (विक्रयनामा) का संक्षिप्त विवरण :-

1. स्टाम्प हेतु मालियत : 32,89,000/-रु.
2. स्टाम्प : 1,64,500/-रु. जिसमें भौतिक स्टाम्प - 50,000/-रु + ई-स्टाम्प - 1,14,500/-रु ई-स्टाम्प नंबर आई एन-यू.पी. 01096585035959 एवं दिनांक 23.05.2015, ई-स्टाम्प इस प्रलेख के साथ संलग्न है।
3. स्थिति : मौजा [illegible] तहसील व जिला मथुरा।
4. सड़क की स्थिति : सड़क [illegible] मथुरा-भरतपुर रोड पर स्थित है।
5. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि भूमि
6. दान की गयी भूमि रकबा : 0.253 हैक्टेयर
7. उक्त क्षेत्र की जमीन का सरकारी रेट - 1,30,00,000/-रु. प्रति हैक्टेयर जो रेट लिस्ट में, क्रम की कोड पर दर्ज है।

[illegible] क्षेत्र उपनिबंधक ।। मथुरा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 458597

10 MAY

(2)

दानदाता प्रथम पक्ष का विवरण – 2

नाम : अमित सिंह पुत्र श्री विजय सिंह व अजय पुत्र श्री विजय सिंह निवासीगण ग्राम मझोई तहसील व जिला मथुरा।

दानगृहीता द्वितीय पक्ष का विवरण – 1

नाम : श्रीमती उर्मिला पवैया कॉलेज स्थित जाजनपट्टी मझोई तहसील व जिला मथुरा, द्वारा सचिव/प्रबन्धक यशपाल पवैया पुत्र स्व० श्री विजय सिंह पवैया निवासी ग्राम जाजनपट्टी मझोई तहसील व जिला मथुरा।

अमित सिंह अजय सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 458595

जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1423-1428 के अनुसार खाता खतौनी सं. 883 खसरा नं. 2775/7 रकबा 0.713 है0 लगानी कागजातानुसार स्थित मौजा मगोर्रा तहसील व जिला मथुरा, में प्रथम पक्ष का हिस्सा 1/2 भाग यानि रकबा 0.3565 है0 सम्पूर्ण अंश मिल्कीयत प्रथम पक्ष की है, जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चला आता है तथा प्रथम पक्ष का ही उक्त आराजी भूमि पर कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी खसरा खतौनी में है तथा उक्त आराजी की बाबत कोई वाद किसी भी न्यायालय आदि में विचाराधीन नहीं है। सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त कृषि भूमि का अन्य कोई मालिक व हकदार नही है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है, न किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है तथा ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नही है जो प्रथम पक्ष को उक्त कृषि भूमि के हस्तान्तरण व दान(हिबे) आदि करने में व्यवधान डाल सके। यानि प्रत्येक प्रकार के झगडे-झंझट, कर्जे आदि से पाक-साफ प्रथम पक्ष की सम्पत्ति है और प्रथम पक्ष को उक्त कृषि भूमि की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 458658

है तथा सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त कृषि भूमि का अन्य कोई मालिक व हकदार नही है और न किसी प्रकार रहन व गिरवी आदि है, न किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है तथा ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नही है जो प्रथम पक्ष को उक्त कृषि भूमि के हस्तान्तरण व दान(हिबे) आदि करने में व्यवधान डाल सके। यानि प्रत्येक प्रकार के झगड़े-झंझट, शर्तों आदि से पाक-साफ प्रथम पक्ष की सम्पत्ति है। प्रथम पक्ष दानदाता शिक्षा प्रेमी है एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु यथाशक्ति शिक्षा क्षेत्र में मदद करता चला आ रहा है एवं द्वितीय पक्ष एक शिक्षण संस्था है, जो शिक्षा के प्रचार-प्रसार व उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय/कॉलेज की स्थापना हेतु कार्यरत व प्रयासरत है, द्वितीय पक्ष को शिक्षा के प्रचार-प्रसार व उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय/कॉलेज को खोलने एवं संचालन हेतु भूमि की आवश्यकता है, जिसकी बाबत द्वितीय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 458659

(5)

पत्र दानगृहीता ने प्रथम पक्ष दानदाता के समक्ष अपनी शिक्षा संस्था उपरोक्त हेतु दान देने हेतु प्रार्थना की, तो प्रथम पक्ष दानदाता ने शिक्षा क्षेत्र में उक्त संस्था द्वारा किए गए कार्यों एवं प्रयासों से संतुष्ट होकर अपनी आराजी भूमि द्वितीय पक्ष को दान देने का निर्णय लिया, जिसे दानदाता प्रथम पक्ष ने स्वीकार कर लिया है। अतः प्रथम पक्ष दानदाता ने अपनी उक्त आराजी भूमि हिस्सा हिस्सा 1/2 भाग यानि रकबा 0.3565 हे0 सम्पूर्ण अंश में से आराजी रकबा 0.253 हे0 भूमि जिसको संलग्न नक्शे में रेड-लाल से दिखाया गया है, को समस्त हक हकूक व अधिकारों सहित जो प्रथम-पक्ष दानदाता को प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि-कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के मय राईट्स व इन्ट्रेस्ट व मुक टेन्योर के समस्त हकूक व अधिकारों व सुखाधिकारों सहित वसूली वाली

22 MAY

बही सं. 1 जिल्द ... पृष्ठ 149 ... क्रमांक ...

विपिन कुमार ...

बैनामा

/ 3,289,000.00

10,000.00 / 20 10,020.00 900

प्रतिफल मालियत फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री अनिल सिंह
पुत्र श्री विजय सिंह
व्यवसाय व्यापार
निवासी [illegible] मथुरा
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/12/2015 समय 4:32PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

... (प्रभारी)
उप निबंधक (द्वितीय)
मथुरा
3/12/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
एवं प्राप्त

श्री अनिल सिंह
पुत्र श्री विजय सिंह
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] मथुरा

श्री आजाद सिंह
पुत्र श्री विजय सिंह
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] मथुरा

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

श्रीमती अनिता ...
पत्नी श्री विजय सिंह
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 458660

(8)

पक्ष श्रीमती उर्मिला पत्नी अखिलेश सिंह ग्राम आजमपाड़ी मगोर्रा तहसील व जिला मथुरा, द्वारा अभि०/संरक्षक महिपाल पवैया पुत्र स्व० श्री विजय सिंह पवैया निवासी ग्राम आजमपाड़ी मगोर्रा तहसील व जिला मथुरा दान गृहीता द्वितीय पक्ष के हक में दान(हिबे) कर दिया व दे दिया और कब्जा व दखल दान(हिबे) की जाती कृषि भूमि पर द्वितीय पक्ष दानगृहीता विवरण संख्या एक वास्तविक कब्जा मालिकाना प्रथम पक्ष ने अपने समाप्त कर दिया और अपना कब्जा हटा लिया तथा द्वितीय पक्ष दानगृहीता ने उक्त भूमि रकबा 0.255 हैक्टेयर पर दान स्वीकार करते हुए अपना कब्जा व दखल मालिकाना प्राप्त कब्जा स्वीकार कर लिया और कब्जा व मालिकाना प्राप्त कर लिया। आज से द्वितीय पक्ष संख्या उक्त दान(हिबे) की

22 MAY 2015

क्रमांक 51/ ...
/45
दिनांक ...

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान दिलीप चौधरी
नवीन चौधरी
पेशा व्यवसाय
निवासी [illegible] मथुरा
व [illegible]
[illegible] सिंह
पेशा व्यवसाय
निवासी ओमप्रकाश [illegible] मथुरा
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गये है ।

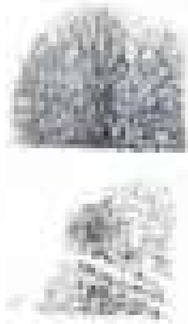

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मो0 शाकिर (प्रभारी)
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
[illegible]/10/2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

BB 460520

उत्तर प्रदेश UTTA". PRADESH

(2)

उसी कृषि भूमि की एकमात्र स्वामी व मालिक प्रथम पक्ष के समान ही उसी। वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि उक्त दान की उसी अराजी भूमि को बावत प्रयोग में लावे, उस पर भवन लेवे, विक्रय करे, शिक्षण कार्य हेतु प्रयोग में लावे, बी०एड०/बी०टी०सी० प्रशिक्षण संस्थान खोले/स्थापित व शिक्षण संस्था हेतु मान्यता प्राप्त करे व स्कूल/कॉलेज आदि का संचालन करे और जिस प्रकार से चाहे प्रयोग करे और अपना नामान्तरण सरकारी कागजात खतौनी में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज कराये और जो चाहे सो करे। अब प्रथम पक्ष का दानग्रहीता जिसे बाबत उक्त कृषि भूमि में कुछ भी हक व हिस्सा व वास्ता किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न कभी आइन्दा भविष्य में वापिस होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति या प्रथम

22 MAY 2015

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Registration No.: 15444 Year: 2,015 Book No.: 1

0101 [illegible] सिंह

[illegible]

[illegible]

[illegible]

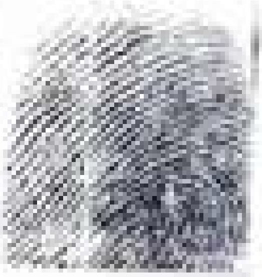

0102 [illegible] सिंह

[illegible]

[illegible]

[illegible]

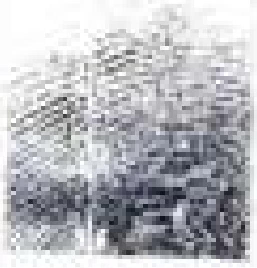

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 460521

(8)

पक्ष या वारिस, वारिसान किये गये उक्त कृषि भूमि की बाबत कोई दावा या झगड़ा उत्पन्न करे तो ऐसी दशा में प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा कोई दावा या झगड़ा या द्वंद्व होता है तो वह इस प्रलेख दानपत्र के आगे सम्पूर्ण आवासहार व आचामा लाभ आयेगा। उक्त भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि से पट्टा आवंटन की भूमि नहीं है। उक्त दान की गयी भूमि में कोई पेड़, बोरिंग, कुँआ, ट्यूबवेल आदि नहीं है। दानदाता अजय ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण अंश आराजी दान की है तथा दानदाता

22 MAY 2015

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Registration No. : 13444 Year : 2,015 Book No. : I

0201 [illegible]

[illegible]

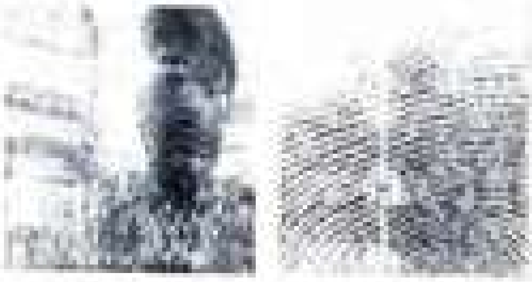

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

BB 460522

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है। पक्ष की भूमि विकास क्षेत्र के बाहर स्थित है। अतः यह दस्तावेज (बैनामा) हम दोनों पक्षों ने पढ़कर समझकर स्वेच्छापूर्वक लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। मुकर्रिर है कि उक्त दस्तावेज पक्षकारों के कहे अनुसार तैयार व टाईप किया गया है, जिसको पक्षकारों व गवाहों के समक्ष पढ़कर सुनाया

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Registration No.: 15444 Year: 2015 Book No.: 1

W1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

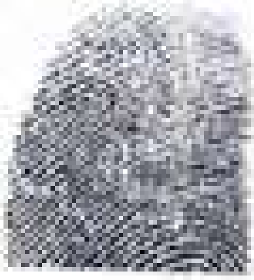

W2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

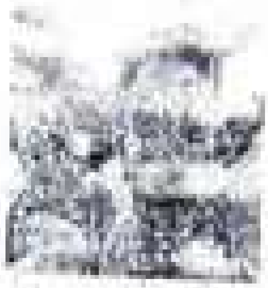

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

BB 460523

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

गया है, पहचान व आदाइज से पढ़कर सुनकर समझकर दस्तावेज पर निष्पादन एवं स्वीकृति के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा किए है।

नोट- पेज सं.1 पर अद्धा लगा है व पेज सं. 6 की पंक्ति 8 में अंक/शब्द 0.253 पैन से लिखा है, जो सही व सत्य है एवं पहचान के पूर्ण संज्ञान मे है।

दिनांक : 22.08.2015

टाईप किया : डी० के० शर्मा, मथुरा।

ड्राफ्ट किया : दिलीप चौधरी एडवोकेट रजि.सं. 1721/2015 रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा [illegible]

गवाह [illegible]

गवाह [illegible]

गवाह [illegible]

[illegible]

आज दिनांक **03/12/2015** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **7531**

पृष्ठ सं. **29** से **50** पर क्रमांक **15444**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] (प्रभारी)

उप निबंधक (द्वितीय)

मथुरा

03/12/2015

18